Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 01-03-2006

Participants : Singh Smt. Pratibha

>

Title : Need to relax the provisions of the Forest (Conservation)Act, 1980 to enable distribution of land to the tribals in Lahaul Spiti and Chamba districts of Himachal Pradesh.

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और देश के पर्यावरण एवं वन मंत्री का ध्यान हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिले लाहौल-स्पीति एवं चम्बा जिले के पांगी-किलाड़ मंडलों की ओर आकर्ति करते हुए निवेदन करना चाहती हूं कि इन क्षेत्रों के गरीब एवं भूमिहीन लोगों को नौतोड़ भूमि आबंटित किए जाने के कई मामले वन संरक्षण अधिनियम में रोक के कारण पिछले अनेक वर्ों से लंबित हैं।

महोदय, अधिकांश जनजातीय क्षेत्र शीत मरूस्थल के अंतर्गत आता है और यहां कृाि की संभावनाएं बहुत कम हैं। यहां वन भी नहीं हैं। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि उक्त क्षेत्रों के पात्र व्यक्तियों को अधिनियम के प्रावधानों में विशेा छूट देकर प्रदेश सरकार को भूमि आबंटित करने के अधिकार प्रदान किए जायें ताकि गरीब व्यक्ति अपने जीवन-यापन में समर्थ हो सकें।